न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प दीगोद जिला कोटा

नं0 तारीख दायरा तारीख फैसला

50/22 28.09.2022 11.07.2023

पीठासीन अधिकारी – हरबिन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

रूघनाथी बाई उर्फ रूग्घी पुत्र माधो पत्नी चौथमल जाति गुर्जर निवासी कोटडापुरा तहसील दीगोद

हाल नि0 डगारिया तहसील इन्द्रगढ जिला बूंदी

(वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा।

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की और से :– श्री जितेन्द्र शर्मा एडवोकेट

प्रतिवादीगण की और से :–

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट

–: निर्णय :–

वादनी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम कोटडापुरा तहसील दीगोद में वादनी के शामलाती खाते में खाता संख्या 150 नया 140 पुराना की खसरा नम्बर 859/291 रकबा 0.21 है0, खसरा नम्बर 860/291 रकबा 0.36 है0, कुल किता 2 रकबा 0.57 है0 जिसमें वादनी का नाम रूग्घी दर्ज है जमाबंदी सम्वत् 2073–76 संलग्न है। यह कि उक्त आराजी में वादनी का नाम रूग्घी दर्ज कर दिया गया है जबकि वादनी का समस्त दस्तावेजों में वादनी का नाम रूघनाथी है। जिससे वादनी को सरकारी योजनाओं में किसान क्रेडिड कार्य आदी लेने में परेशानी आ रही है। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। यह कि उक्त वादनी का नाम आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड ,पेन कार्ड, बैंक डायरी आदि में वादी नाम रघुनाथी बाई है। वादनी की नाम ग्राम कोटडापुरा की जमाबंदी में रूग्घी दर्ज होने से सरकारी योजनाओं का लाभ व भूमि सुधार के लिए किसान क्रेडिड कार्ड लेने से वंचित हो रही है। वादनी को दस्तावेजो के आधार पर अपना नाम राजस्व रिकार्ड में लिखवाने का कानूनन अधिकारी है। इसलिए वादनी का नाम दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

यह कि प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा ग्राम कोटडापुरा की भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम रूघनाथी बाई के स्थान रूग्घी दर्ज कर दिया है उपरोक्त करण से राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम रूघनाथी बाई दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में वादनी ने प्रतिवादी से दिनांक 12.07.2022 को निवेदन करने पर उन्होने कोई ध्यान नही किया और [illegible] जिस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

अध्यक्ष
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद कोटा (राज.)

अतः वादी ने वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम कोटडापुरा तहसील दीगोद मे के शामलाती खाते में खाता संख्या 150 नया 140 पुराना की खसरा नम्बर 859/291 रकबा 0.21 खसरा नम्बर 860/291 रकबा 0.36 है0, कुल किता 2 रकबा 0.57 है0 भूमि में वादनी का नाम रूग्घी के स्थान पर रूघनाथी दर्ज किया जावे व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी विधिवत करवायी गयी। प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद की और से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार दीगोद ने अपने जवाब में वादनी का नाम रूग्घी पुत्री माधो के स्थान पर रूघनाथी पुत्री माधो जाति गुर्जर दर्ज किये जाने की अनुशंषा की गयी है।

वादनी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम कोटडापुरा तहसील दीगोद मे वादनी के शामलाती खाते में खाता संख्या 150 नया 140 पुराना की खसरा नम्बर 859/291 रकबा 0.21 है0, खसरा नम्बर 860/291 रकबा 0.36 है0, कुल किता 2 रकबा 0.57 है0 भूमि में वादनी का नाम रूग्घी के स्थान पर रूघनाथी उर्फ रूग्घी दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नही रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प दीगोद में सुनाया गया।

अध्यक्ष
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद कोटा (राज.)

डिक्री मुकदमा

(आ0 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

...अदालत न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प दीगोद जिला कोटा

उनवान

पीठासीन अधिकारी हरबिन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

...थी बाई उर्फ रूग्घी पुत्र माधो पत्नी चौथमल जाति गुर्जर निवासी कोटडापुरा तहसील दीगोद ... नि0 डगारिया तहसील इन्द्रगढ जिला बूंदी

(वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की और से – श्री जितेन्द्र शर्मा एडवोकेट

प्रतिवादीगण की और से –

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट वास्ते राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्ती

मिसल नम्बर

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ हरबिन्दर डी.सिंह आर.ए.एस बहाजिरी मिनजानिब मुददई रूबरू मिनजानिब मुददालयह न्यायालय में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम कोटडापुरा तहसील दीगोद मे वादनी के शामलाती खाते में खाता सख्या 150 नया 140 पुराना की खसरा नम्बर 859/291 रकबा 0.21 है0, खसरा नम्बर 860/291 रकबा 0.36 है0, कुल किता 2 रकबा 0.57 है0 भूमि में वादनी का नाम रूग्घी के स्थान पर रूघनाथी उर्फ रूग्घी दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है।तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक 11.02.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प दीगोद में जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनाम	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगें।

अध्यक्ष
तालुका विधिक सेवा (समिति)
दीगोद, कोटा